फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

इण्डिया सेल्टर बनाम श्रीमती रजनी

प्रकरण संख्या : 187/2023 (प्रा० पत्र धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
09.03.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से प्रस्तुत धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत बन्धक सम्पत्ति श्री कैलाश चन्द बैरवा एवं कन्हैयालाल बैरवा पुत्रान कजोड मल बैरवा के नाम पर है जबकि धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र में केवल कैलाश चन्द बैरवा का नाम नाम ही अंकित है। प्रार्थना पत्र एवं सैल डीड में में भिन्नता है। अतः धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट–2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	